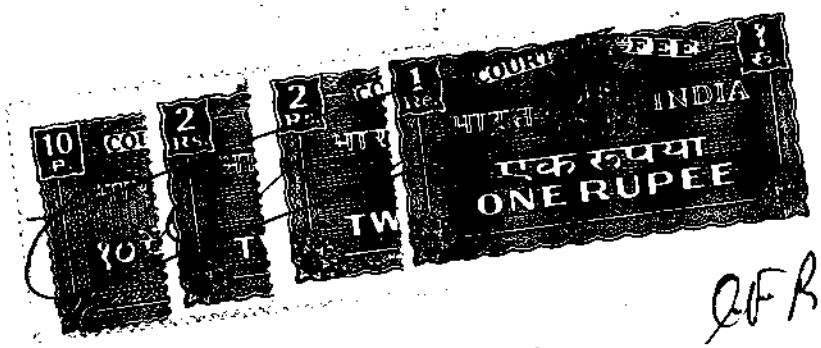

QFR 15.2

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

/04 निगरानी – 1014 – PBR/2004

फूला बाई वेवा खंडेराव निवासी ग्राम – रिजोदा तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी

-----आवेदक•

बनाम

1• कमलेश पुत्र बलभद्र सिंह निवासी ग्राम – रिजौदा तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी

2• म0प्र0 शासन
द्वारा पटवारी ग्राम रिजौदा

----अनावेदक•

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता–1959 विरुद्ध आदेश श्री एस•पी• गुप्ता अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर जोकि प्र0क्र0 427/01–02 अपील में दिनांक 28•1•04 को पारित किया गया ।

श्री ओ•पी• सिंह अभि• द्वारा दिनांक 17/8/04 को प्रस्तुत।
उप सचिव प्र0क्र0
राजस्व मंडल, म0प्र0

17.8.04
O.P. SINGH

माननीय महोदय,

आवेदक का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश है–

प्रकरण के तथ्य:

... प्रकार कि आवेदिका फूला बाई द्वारा दि...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1014–पीबीआर/2004 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–07–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 427/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 28.01.04 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदिका फुलाबाई द्वारा संहिता की धारा–89 के अंतर्गत एक आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर ग्राम खिरोदा के नक्शे सर्वे क्र0 316 के स्थान पर 317 व सर्वे नं0 317 के स्थान पर 316 लिखा जाकर संशोध की मांग की गई । तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 18.07.2001 को संशोधन का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमलेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 31.05.2002 को अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.05.2002 के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 427/2001–02/अपील पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 28.01.04 को अपील स्वीकार करते हुये आदेश पारित कर तहसील न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य के साथ अपने पक्ष	

समर्थन का समुचित अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जावे । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 28.01.04 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ;

3/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों की पूर्ण रूप से विवेचना करने के पश्चात समवर्ती निषकर्ष निकाले है, जिनमें द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । प्रकरण में अनावेदक द्वारा भी आपत्ति की गई कि धारा–89 के अन्तर्गत तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है । सही स्थिति यह है कि इस धारा के अधीन अनुविभागीय अधिकारी को दी गई समस्त शक्तियां मध्यप्रदेश शासन अधि सूचना क्रमांक 2539, 6403, सा.ना.–1 दिनांक 27.06.68 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 30.08.68 द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त कर दी गई हैं । तर्क में उन्होंने यह भी बताया है कि आर.आई. से जांच करवा कर लिखित रिकॉर्ड के प्रस्ताव दुरूस्ती के आधार पर ही नक्शे में सर्वे नं. 316 लिखा जाकर संशोधित का आदेश दिया गया है । जहॉ तक आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा का प्रश्न है उसकी जानकारी में नक्शे की भूल आन के तुरन्त बाद समयावधि में आवेदन पेश किया गया । अनावेदक कमलेश द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया है । उसकी ओर से अभिभाषक द्वारा कोई तर्क पेश किये गये है । शासकीय अभिलेख को साक्ष्य से सिद्ध करना जरूरी नहीं हैं । अभिलेख तहसील न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है ।

प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्धित रिकार्ड से मामला स्पष्ट है । ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्रत्यावर्तित न करके मामला स्वयं निटाना चाहिये था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अशिक्षा, गरीबी और पिछड़ेपन को विलम्ब क्षमा करने के लिये पर्याप्त कारण माना है । अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार द्वारा विलम्ब को क्षमा करके समवर्ती आदेश पारित किये है अर्थात उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है । इन बिन्दुओं के संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1986–आर.एन.–31, भवानीराम–विक्रय कर आयुक्त, 1984–डब्लू.एन.–382 हाईकोर्ट, फूलौदा बाई–डॉ. हरजीत सिंह, 1999 आर.एन. –22 रे. बोर्ड एवं ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट–1353 आदि उल्लेखित है । अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार करने का कष्ट करें ।

4/ अनावेदिका क्र0 1 के अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदिका फूलादेवी की ओर से दिनांक 4.7.2000 को जो आवेदन पत्र संहिता की धारा–89 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । वह बंदोबस्त 84–85 में समाप्त होने के पश्चात करीब 15 वर्ष के विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत किया गया है और ऐसे आवेदन पत्र पर विचार करने का क्षेत्राधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है, अपितु अनुविभागीय अधिकारी को है । संहिता की धारा–89 के तहत अनुविभागीय अधिकारी को राजस्व सर्वेक्षण बंद होने के पश्चात तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण, संख्यांक बंद होने के पश्चात तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण, संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में किसी भी गलती को ऐसे सर्वेक्षण से हुई भूल या

गणना करने में या भूल के कारण हुई हो, ठीक करने के अधिकार है । इस धारा के अधीन अनुविभागीय अधिकारी को दी गई समस्त शक्तियां तहसीलदार को म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्र0 2539–6403–सा.ना.–1 दिनांक 27.06.68 एवं म0प्र0 राजपत्र दिनांक 30.08.68 में प्रकाशित द्वारा प्रदत्त कर दी गई है । ऐसी स्थिति में धारा–89 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को है । अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया है कि तहसील न्यायालय द्वारा रा0नि0 के जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर ही प्ररकण में आदेश पारित कर दिया गया है । बंदोबस्त के पूर्व एवं बंदोबस्त के पश्चात के दस्तावेजों को प्राप्त कर उनके परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही रा0नि0 को साक्ष्य में आहूत कर उस पर प्रतिपरीक्षण का अवसर उन्हें दिया गया है और न उन्हें अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया है जिसका औचित्यपूर्ण कारण भी वर्णित नहीं किया गया है । प्रकरण के अवलोकन से यह बात सामने आती है कि तहसील न्यायालय द्वारा रा.नि. के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है । उभयपक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही रा.नि. की साक्ष्य ली जाकर उस पर प्रतिपरीक्षण का अवसर अनावेदिका को मिला है। तहसील न्यायालय द्वारा बंदोबस्त के पूर्व एवं बाद के अभिलेख का भी परीक्षण एवं विश्लेषण नहीं किया गया, जिससे सर्वे नम्बरों में हुई वर्णित त्रुटि की वास्तविकता का सही आंकलन हो सके । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2001 विधिसंगत नहीं

कहा जा सकता है । अतः प्रस्तु निगरानी खारिज किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक क्र0 2 शासकी पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है ।

6/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलखों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन सर्वे नम्बरों से संबंधित बंदोबस्त के पूर्व एवं बंदोबस्त के पश्चात के अभिलेख का परीक्षण एवं विश्लेषण कर वर्णित त्रुटि के संबंध में वस्तु स्थिति ज्ञात की जाये । आवेदिका फुलाबाई ने 15 वर्ष के पश्चात आवेदन पत्र के विलम्ब के औचित्य के बारे में अपनी स्थिति तहसील न्यायालय में स्पष्ट नहीं किया है। इसके पश्चात इन सभी बिन्दुओं पर समग्र रूप से विचार कर तहसील न्यायालय ने संहिता के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में विसंगता के आदेश पारित नहीं किये है । प्रकरण में उभयपक्षों को अपनी साक्ष्य एवं अपने समर्थन का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अतः तहसील न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2001 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.05.2002 निरस्त किये जाते है । न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के दिनांक 28.01.2004 को प्रात्यावर्तित का आदेश पारित किया है वह विधिसंगत है । क्योंकि प्रकरण प्रात्यावर्तित करने पर उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा, ताकि हितबद्ध पक्षकार अपना पक्ष समर्थन कर सकें।

7/ मेरे मतानुसार अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 28.01.2004 विधिसंगत है । अतः अपर

आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 28.01.2004 स्थिर रखा जाता है और निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये, प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं समर्थन का समुचित अवसर प्रदान किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य